

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 415—439

Dated 30-3-2013

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2013

सा.का.नि. 75.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, विभागीय कैटीन (समूह 'घ') भर्ती नियम, 2004 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग विभागीय, कैटीन समूह 'ग' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, विभागीय कैटीन समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक प्रबंधक-सह-भंडारी	1* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित), (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड 1, वेतनमान 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	अचयन	21 और 28 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

(6)

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(7)

(8)

(9)

(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में बैचलर डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्या शाखा में बैचलर डिग्री के साथ भंडारण या दोहरी प्रविष्टि वाली बही खाता प्रणाली में एक वर्ष का डिप्लोमा; और

(ख) सरकारी विभाग या सरकारी उपक्रम में भंडार या लेखा कार्य का तीन वर्ष का अनुभव

टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

लागू नहीं होता

सीधे भर्ती हुए व्यक्ति के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)

प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)

प्रोन्नति :

(i) ऐसे लिपिक जिनकी वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में कम से कम आठ वर्ष की नियमित सेवा है।

(ii) ऐसे हलवाई सह रसोइया जो वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2000 रु. में भंडार या लेखा के हैंडलिंग में दो वर्ष का अनुभव रखते हैं और लिपिक पद पर सीधे भर्ती यथाविहित अर्हता रखते हैं; अर्थात् किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से वाणिज्य विषय से इंटरमीडिएट हैं।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति : (क) केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में कम से कम आठ वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं; और

(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं रखते हैं; और भंडार या लेखा कार्य के हैंडलिंग में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखते हैं।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(11)

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(12)

(13)

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)

लागू नहीं होता।

1. निदेशक या उप सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग —अध्यक्ष
2. अवर सचिव औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग —सदस्य
3. अवर सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. हलवाई सह-रसोइया	4* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित), (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड 1, वेतनमान 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2000 रु.	अचयन	18 और 30 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप

(6)

के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)

(8)

(9)

(क) कक्षा 10 उत्तीर्ण के साथ खान पान में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा :—

लागू नहीं होता

सीधी भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(ख) किसी समरूप क्षमता के विख्यात भोजनालय या होटल या संगठन में तीन वर्ष का अनुभव रखते हैं; और

(ग) विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अभ्यर्थी की उपयुक्तता के निर्धारण के लिए संचालित भोजन बनाने जिसमें स्वच्छता का रखरखाव आदि भी शामिल है, के लिए व्यावसायिक कौशल परीक्षण अर्हित करना होगा।

टिप्पण : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। अनुभव संबंधी अर्हता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदाय के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(10)

(11)

50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति :

ऐसे सहायक हलवाई सह रसोइया जो वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से

जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थान ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति : (क) केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या

(ii) ऐसे हलवाई रसोइया जो वेतन बैंड-1, 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं; और

(ख) निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव रखते हैं :

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से कक्षा 10 उत्तीर्ण सर्टिफिकेट या खानपान में डिप्लोमा,

(ii) किसी सरकारी विभाग या उपक्रम में भोजन बनाने में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन या वेतनमान आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)

1. निदेशक या उप सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग —अध्यक्ष
2. अवर सचिव औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग —सदस्य
3. अवर सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग —सदस्य

लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. लिपिक	6* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित), (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड 1, वेतनमान 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
	(7)		(8)		(9)
	(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से वाणिज्य विषय के साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समतुल्य; (ख) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रतिमिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति (प्रत्येक शब्दों के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर 10500 प्रतिघंटा/9000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा के अनुरूप 35 शब्द प्रतिमिनट और 30 शब्द प्रति मिनट। टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने		आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हाँ		सीधे भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(7)

के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदाय के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(10)

50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

(11)

प्रोन्नति :-

ऐसे कैंटीन परिचर जो वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं।

लिपिक पद पर प्रोन्नति के लिए कैंटीन परिचरों को सचिवीय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्था या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्था से संगठन व्यवहार, संपर्क कौशल और लेखा व्यवहार में दो सप्ताह का प्रशिक्षण आवश्यक है।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थान ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति : (क) केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :-

(क)(i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है, या

(ii) ऐसे कैंटीन परिचर जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में कम से कम तीन वर्ष की सेवा रखते हैं; और

(ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखते हैं।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(11)

टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन या वेतनमान आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)

1. निदेशक या उप सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग —अध्यक्ष
2. अवर सचिव औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग —सदस्य
3. अवर सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग —सदस्य

(13)

लागू नहीं होता

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

4. सहायक हलवाई सह रसोइया

4* (2013) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)

साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित), (अननुसचिवीय)

वेतन बैंड 1, वेतनमान 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.

अचयन

18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड,

(6)

अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)
टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)

(8)

(9)

(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्था से कक्षा 10 उत्तीर्ण या खान-पान में डिप्लोमा

नहीं

सीधी भर्ती हुए व्यक्ति के लिए दो वर्ष

(ख) किसी समरूप क्षमता के विख्यात भोजनालय या होटल या संगठन में तीन वर्ष का अनुभव रखते हैं;

(ग) विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अभ्यर्थी की उपयुक्तता के निर्धारण के लिए संचालित भोजन बनाने जिसमें स्वच्छता का रख-रखाव आदि भी शामिल है के लिए व्यावसायिक कौशल परीक्षण अर्हित करना होगा।

टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदाय के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(10)

(11)

50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

प्रोन्नति :

ऐसे कैटीन परिचर जो वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं।

विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा अभ्यर्थी की उपयुक्तता के निर्धारण के लिए संचालित भोजन बनाने जिसमें स्वच्छता का रख-रखाव आदि भी शामिल है के लिए व्यावसायिक कौशल परीक्षण अर्हित करना होगा।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर

ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा, समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति : (क) केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किये हुए हैं; या

(ii) ऐसे कैंटीन परिचर जो हलवाई सह रसोइया के रूप में एक वर्ष का अनुभव रखते हैं तथा मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु. में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं; और

(ख) किसी मान्यताप्राप्त संस्था या बोर्ड से खान-पान में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा रखते हैं।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर, जिनके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)

2. अवर सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग —सदस्य
3. अवर सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग —सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. कैंटीन परिचर	24* (2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित), (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड 1, 5200— 20200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रु.	अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)
मैट्रिकुलेशन या समतुल्य	लागू नहीं होता	दो वर्ष
(10)	(11)	
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	

(12)

(13)

समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :—

लागू नहीं होता।

1. निदेशक या उप-सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग —अध्यक्ष;
2. अवर सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग —सदस्य;
3. अवर सचिव (स्थापन), औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग —सदस्य।

[फा. सं. ए-12012/3/2010-यू बी डी सी/स्था. डी]

राजेश कुमार, अवर सचिव

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2013

G.S.R. 75.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Industrial Policy and Promotion Departmental Canteen (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts, in the Department Canteen, Department of Industrial Policy and Promotion in the Ministry of Commerce and Industry namely:-

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Department of Industrial Policy and Promotion, Departmental Canteen (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band, grade pay and pay scale.—The number of the posts, their classification and the pay band, grade pay and pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limits, qualifications etc..—The Method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, for reasons to be rendered in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

1292 C & I/13-4

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band, Grade pay and Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Manager-cum-Storekeeper	1* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band-1, pay scale of ₹ 5200—20200 plus grade pay ₹ 2400	Non-selection	Between 21 and 28 years. (Relaxable for Government Servants up to the age of forty years in the case of general candidates and forty five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) Note 1 : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep). Note 2 : The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	
(7)			(8)	(9)	
(a) Bachelors degree in Commerce from a recognised university; or			Not applicable	Two years for direct recruits	

(7)

Bachelors degree in any discipline from a recognised university with one year Diploma in Book Keeping or Store Keeping; and

(b) Three years experience in Government Department of Government/Undertaking in handling Stores or Accounts works.

Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority in the case of candidate, otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(10)

(11)

Promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment

Promotion :

(i) Clerks, with at least eight years regular service in the pay band-1, pay scale of Rupees 5200—20200 with grade pay of Rupees 1900.

(ii) Halwai-cum-Cook with five years regular service in the pay band -1, pay scale of Rupees 5200—20200 with grade pay of Rupees 2000 with two years experience in handling Stores or Accounts and possessing educational qualification as prescribed for direct recruited for the post of clerk that is Intermediate with Commerce as a subject from a recognised Board.

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall

(11)

be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay and pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

Deputation:

Officers of the Central Government :

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with atleast eight years regular service in the pay band -1, pay scale of Rupees 5200—20200 with grade pay of Rupees 1900 in the parent cadre or department; and

(b) possessing educational qualification as prescribed for direct recruit under column 7; and at least three years experience in handling Stores or Accounts works.

Note 1 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for deputation shall be not exceeding fifty - six years as on the closing date of the receipt of applications.

Note 2 : The Departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 3 : For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based on Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post for which that Grade Pay or Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(12)

(13)

Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering confirmation :—

Not applicable

1. Director or Deputy Secretary (Establishment), —Chairman ;
Department of Industrial Policy and Promotion
2. Under Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion —Member ;
3. Under Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion —Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Halwai-cum-Cook	4* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band-1, pay scale of ₹ 5200-20200 plus grade pay ₹ 2000	Non-selection	Between 18 and 30 years. (Relaxable for Government Servants up to the age of forty years in the case of general candidates and forty five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep). Note 2 : The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)
(a) 10th class pass with a certificate or diploma in catering : (b) possessing three years experience in similar capacity a reputed restaurant or hotel or Organisation; and (c) should qualify the trade skill test for cooking including maintenance of hygiene, etc., to be conducted by the Departmental Promotion Committee to assess the suitability of the candidate. Note 1: The Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates belonging to the Scheduled	Not applicable	Two years for direct recruits

(7)

Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(10)

50% by promotion failing which by deputation and 50% by direct recruitment

(11)

Promotion :

Assistant Halwai-cum-Cook with at least three years regular service in the pay band-1, pay scale of rupees 5200-20200 with grade pay of rupees 1900.

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay and pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

Deputation:

Officers of the Central Government :

(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) Assistant Halwai-cum-Cook with at least three years regular service in the pay band -1 in the pay scale of rupees 5200-20200 with grade pay of rupees 1900 and,

(b) possessing educational qualification and experience :

(i) 10th Class pass with a certificate or diploma in catering from a recognized Board or Institute;

(ii) Two years experience in a Government Department or Undertaking in cooking.

Note 1 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

Note 2 : The Departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration

(11)

for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 3 : For the purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised pay scale into one grade with a common Grade Pay or Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post for which that Grade Pay or Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

(13)

Group 'C' Departmental Promotional Committee for considering confirmation :—

Not applicable.

1. Director or Deputy Secretary (Establishment), —Chairman
Department of Industrial Policy and Promotion
2. Under Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion —Member
3. Under Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion —Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Clerk	6* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band-1, pay scale of ₹ 5200-20200 plus grade pay ₹ 1900	Non-selection	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government Servants up to the age of forty years in the case of general candidates and forty five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and

(6)

Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

Note 2 : The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)

(a) 12th class pass with Commerce from a recognised Board or equivalent.

(b) A typing speed of 35 word per minute in English or 30 word per minute in Hindi on Computer (35 word per minute and 30 word per minute correspond to 10500 key depression per hour/9000 key depression per hour on an average of 5 key depressions for each word).

Note 1: The Qualification are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates, otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

(8)

Age : No
Educational Qualifications : Yes

(9)

Two years for direct recruits

(10)

50% by promotion failing which by deputation and 50% by direct recruitment

(11)

Promotion :

Canteen Attendant, with at least three years regular service in the pay band-1, in the pay scale of rupees 5200—20200 with grade pay of rupees 1800.

A two week training on Organisational behaviour, communication skill and accounting practices shall be mandatory for the Canteen Attendants for promotion to the post of Clerk from Institute of Secretariat Training and Management or any other recognised Institutes.

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their

seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay and pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

Deputation:

Officers of the Central Government :

(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) Canteen Attendant with at least three years regular service in the pay band -1, pay scale of Rupees 5200—20200 with grade pay of rupees 1800 in the parent Cadre or Department; and,

(b) possessing educational qualification as prescribed for direct recruits under column 8.

Note 1 : The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

The maximum age-limit for deputation shall be ordinarily not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

Note 2 : The Departmental official in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 3 : For the purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended), shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post for which that Grade Pay or Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotional Committee for considering confirmation :— 1. Director or Deputy Secretary (Establishment), —Chairman Department of Industrial Policy and Promotion 2. Under Secretary, Department of Industrial —Member Policy and Promotion 3. Under Secretary (Establishment), Department —Member of Industrial Policy and Promotion	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Assistant-Halwai-cum-Cook	4* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'C', (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band-1, pay scale of ₹ 5200—20200 plus grade pay ₹ 1900	Non-selection	Between 18 and 25 years (Relaxable for Government Servants up to the age of forty years in the case of general candidates and forty five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time. Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep). Note 2 : The crucial date for determining the age-limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)
<p>(a) 10th class pass with a certificate or diploma in catering from a recognised Board or Institute;</p> <p>(b) one year experience in similar capacity in a reputed restaurant or hotel or Organisation;</p> <p>(c) should qualify the trade skill test for cooking including maintenance of hygiene to be conducted by the Departmental Promotion Committee to assess the suitability of the candidate.</p>	No	Two years for direct recruits
<p>Note : The qualification regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>		
(10)	(11)	
<p>50% by promotion failing which by deputation and 50% by direct recruitment</p>	<p>Promotion : Canteen Attendant, in the pay band-1, pay scale of Rupees 5200-20200 with grade pay of Rupees 1800 with at least three years regular service. A trade skill test shall be conducted by the Departmental Promotion Committee for cooking including maintenance of hygiene, etc., to assess the suitability or the candidate for promotion.</p> <p>Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay and pay scale extended based on the recommendations of the Commission.</p> <p>Deputation: Officers of the Central Government :</p> <p>(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) A Canteen Attendant in the pay band -1, pay scale of Rupees 5200-20200 with grade pay of rupees 1800 with at least</p>	

(11)

three years regular service in the parent Cadre or Department; having one year experience as helper to Halwai-cum-Cook; and

(b) possessing a certificate or diploma in catering from a recognised Institute or Board.

Note 1 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for deputation shall be ordinarily not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.

Note 2 : The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 3 : For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding Grade Pay/Pay Scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post for which that Grade Pay or Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)

(13)

Group 'C' Departmental Promotional Committee for considering confirmation :—

Not applicable

1. Director or Deputy Secretary (Establishment), —Chairman
Department of Industrial Policy and Promotion
2. Under Secretary, Department of Industrial —Member
Policy and Promotion
3. Under Secretary (Establishment), Department —Member
of Industrial Policy and Promotion

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Canteen Attendant	24* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted), Non-Ministerial	Pay Band-1, pay scale of ₹ 5200-20200 plus grade pay ₹ 1800	Not-selection	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government Servants up to the age of forty years in the case of general candidates and forty five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the

(6)

Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.

Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands or the Union Territory of Lakshadweep).

Note 2 : The crucial date for determining the age limit in the case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)
Matriculation or equivalent	Not applicable	Two years

(10)	(11)
By direct recruitment	Not applicable

(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotional Committee for considering confirmation :—	Not applicable.

1. Director or Deputy Secretary (Establishment), —Chairman
Department of Industrial Policy and Promotion
2. Under Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion —Member
3. Under Secretary (Establishment), Department of Industrial Policy and Promotion —Member

[F.No. A-12012/3/2010-UBDC/Estt. D]

RAJESH KUMAR, Under Secy.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

1911	1912	1913
...
...
...
...
...
...

Faint text at the bottom of the page, possibly a footer or page number.